

Scheme to private unaided shools in tribal areas. This would go a long way in the development of tribals.

Demand to amend Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986

श्री नंदी येल्सैया (आंध्र प्रदेश): महोदय, आज देश भर में लाखों बच्चे छोटी-छोटी factories, होटलों, building construction, सड़क निर्माण, brick kiln, चाय-कॉफी plantation, cashewnut, carpet, beedi, rubber, leather, food processing industries, agriculture, trains आदि में और घरेलू नौकरों के तौर पर काम कर रहे हैं।

हर क्षेत्र में लाखों child labourers काम कर रहे हैं और child labourers की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। Child labour को employ करना उनके Fundamental Right to Education, childhood और इस देश के नागरिक के तौर पर Right to Equal Opportunity का total violation है।

महोदय, child labour की practice को खत्म करने के लिए एक ही national law है- Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986. इसमें child labour को कुछ जोखिम भरे कामों में engage करने की तो मनाही है, मगर यह non hazardous कामों में child labour पर silent है। यही बात इन बच्चों के Fundamental right to Education के खिलाफ जाती है। इससे non hazardous works में child labour को engage और exploit करने वाले कानून से बच निकलते हैं।

मौजूद Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 को amend करके इसमें देश में hazardous और non hazardous सभी क्षेत्रों में child labour को पूरी तरह abolish करने का provision किया जाए। इसलिए मैं Union Labour Minister से अनुरोध करता हूँ कि वे पूरे देश में child labour को totally abolish करने के लिए शीघ्र बिल ड्राफ्ट करें।

Concern over Negative Effects of On-line Trading

श्री बनवारी लाल कंचाल (उत्तर प्रदेश): महोदय, व्यापार के कारण देश में सभी उपभोक्ता वस्तुओं में जबरदस्त महंगाई बढ़ती जा रही है। जिससे आम आदमी का जीवन कठिन हो गया है। आज पूरे देश में कुछ मुट्ठी भर लोग कम्प्यूटर पर बैठकर व्यापार जगत को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। वायदा व्यापार ने जुए और सट्टे का रूप ले लिया है। वायदा व्यापार के कारण देश के विभिन्न जनपदों में 50 करोड़ से लेकर 500 करोड़ तक का घाटा वहां के व्यापारियों को हो चुका है। बहुत से व्यापारी बेरोजगार और कर्जदार हो गए हैं। मेरी जानकारी में आया है कि प्रतिवर्ष लगभग 1000 करोड़ रुपए जो वायदा व्यापार से मुनाफा कमाया जा रहा है, वह विदेशों में भेजा जा रहा है। वायदा व्यापार अगर जारी रहा तो देश को भारी आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। वायदा व्यापार के विरोध में धरना प्रदर्शन और आन्दोलन हो चुके हैं। 18 अगस्त को संसद भवन के सामने जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय व्यापार मण्डल के तत्वावधान में एक विशाल धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। सरकार से अनुरोध है कि इस वायदा व्यापार पर तत्काल रोक लगाने की कार्यवाही की जाए।